


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड—(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 429] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 30, 1970/अग्रहायण 9, 1892

No. 429] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 30, 1970/AGRAHAYANA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION
(Department of Agriculture)
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November 1970

S.O. 3811.—The Central Government in consultation with the Central Seed Committee hereby cancel the notification of the varieties specified in column (1) of the table below, which were notified in the exercise of the powers, conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) vide Notification No. 4(20)/68-Seeds Dev. (S.O. 4045) dated 24th September, 1969, in respect of areas specified in the corresponding entry in column (2) of the said table namely:—

TABLE

Variety (1)	Area for which denotified (2)
Wheat	
(i) Sharbati Sonara	M. P.
Maize	
(i) Hybrid Maize Ganga 101	Haryana
(ii) Hybrid Maize Ranjit	M. P.
(iii) Hybrid Maize Hi-starch	Haryana
(iv) Composite Maize-Kisan	Haryana
(v) Composite Maize-Vikram	Haryana
Paddy	
(i) ADT-27	Kerala

This notification shall come into force with immediate effect.

[No. F. 7(22)/70-SD.]

S. M. B. BURNEY, Jt. Secy.

(1885)

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर 1970

एस० न्रो० 3811.—केन्द्रीय सरकार, बीज समिति की सहमति से एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (1) विनिर्दिष्ट किस्मों की उस अधिसूचना को रद्द करता है जिसे बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 4(20)/68-बीज विकास (एस०न्रो० 4045) दिनांक 24 सितम्बर 1969 द्वारा अधिसूचित किया गया था। यह उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में है जो तथाकथित तालिका के स्तम्भ (2) में तदनुसृत इन्द्राज में विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात् :—

सारणी

किस्म	समाप्त अधिसूचित क्षेत्र
1	2
गेहूं	
(i) शरवती सोनारा	मध्य प्रदेश
मक्का	
1 संकर मक्का गंगा 101	हरियाणा
2 संकर मक्का रणजीत	मध्य प्रदेश
3 संकर मक्का 'हि-स्टार्च'	हरियाणा
4 कम्पोजिट मक्का-किसान	हरियाणा
5 कम्पोजिट मक्का-विक्रम	हरियाणा
धान	
(i) ए डी टी-27	केरल

यह अधिसूचना तत्काल प्रवृत्त हो जाएगी।

[संख्या 7(22)/70—बीज विकास]

सं० मु० हु० वर्नी, संयुक्त सचिव।